दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

बधाई एवं अवकाश सूचना

सभी पाठकों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
दीपावली के अवसर पर न्याय साक्षी कार्यालय में 4 व 5 नवंबर को अवकाश रहेगा। अगला अंक 7 नवंबर को प्रकाशित होगा।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 04 नवंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 39

महत्वपूर्ण एवं खास

6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को धन शोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हिरासत 06 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी है। केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख से सोमवार को 13 घंटे से अधिक पूछताछ की थी और सुबह उन्हें गिरफ्तार किया था। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा उनके उपर लगाये गये 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की थी। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह खुद की मर्जी से एजेंसी के सामने पेश हुये क्योंकि वह कानून का सम्मान करते हैं। धन शोधन का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है। ईडी कार्यालय में रात बिताने के बाद देशमुख को सुबह करीब सवा 10 बजे अस्पताल ले जाया गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

सुरत महानगर में भारतीय पोस्ट विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिजनेस सेंटर की शुरूआत की गई

नई दिल्ली (आरएनएस)। आज सुरत महानगर में भारतीय पोस्ट विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिजनेस सेंटर की शुरूआत की गई। इस अंतरराष्ट्रीय बिजनेस सेंटर का लोकार्पण नवसारी के माननीय सांसद सी.आर पाटिल के शुभ हाथो से किया गया। इस समारोह में अन्य महानुभाव जैसे की देवुसिंह जी चौहान केंद्रीय संचार राज्य मंत्री, श्रीमती दर्शना जरदोश केंद्रीय रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री, बी.पी सारंगी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल गुजरात सर्कल, श्रीमती सुचिता जोशी, पोस्ट मास्टर जनरल साउथ गुजरात रीजन, बड़ौदा भी उपस्थित रहे।

केंद्र ने प्रदेशों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी किए

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने आज राज्यों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त राशि सहित अब तक मुआवजे की कुल राशि 60,000 करोड़ रुपए जारी है। जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी करने में कमी के बदले 1.59 लाख करोड़ रुपए का बैक टू बैक ऋण पहले ही जारी किया जा चुका है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नेफेड ने की विशेष पहल

नई दिल्ली (आरएनएस)। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नेफेड के सहयोग से राजस्थान के कोटा जिले के किसानों तथा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पीएमएफएमई योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक पर सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों को संवेदनशील बनाना और नेफेड के तहत ओडीओपी आधारित ब्रांड कोरीगोल्ड को विशेष रूप से विकसित करना था। कोरीगोल्ड ब्रांड के तहत धनिया पाउडर और धनिया की चटनी उत्पाद बनाने का उद्देश्य है। वर्कशॉप का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र, राजस्थान में किया गया जिसमे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नेफेड, केवीके कोटा, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी समिति, राज्य नोडल अधिकारी, जिला संसाधन व्यक्ति और जिला नोडल अधिकारी (पीएमएफएमईयोजना) के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 18 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। वर्कशॉप में सूक्ष्म उद्यमियों को योजना के ब्रैंडिंग और मार्केटिंग कॉम्पोनेन्ट के बारे में बताया गया साथ ही साथ नेफेड के कोरीगोल्ड ब्रांड के फायदे बताये गए जिससे वह उस ब्रांड से जुड़ सके।

भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आज डब्ल्यूएचओ से मिल सकती है मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) आज मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन (कोवैक्सिन) को हरी झंडी दिखा सकता है. डब्ल्यूएचओ की टेक्नीकल कमेटी आज भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) में शामिल करने के मुद्दे पर बैठक करने वाला है. इससे पहले कमेटी दो बार कोवैक्सिन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से स्पष्टीकरण मांग चुका है.

बीते सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के तकनीकी सलाहकार समूह ने भारत के स्वदेश निर्मित कोविड रोधी टीके 'कोवैक्सीन' को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम लाभ-जोखिम मूल्यांकन करने के वास्ते भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा था. तकनीकी सलाहकार समूह अब अंतिम मूल्यांकन के लिए आज यानी तीन नवंबर को बैठक करने वाला है.

इससे पहले हुई बैठक को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा था, 'तकनीकी सलाहकार समूह ने बैठक में फैसला किया कि टीके के वैश्विक उपयोग के मद्देनजर अंतिम लाभ-जोखिम मूल्यांकन के वास्ते निर्माता से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे जाने की जरूरत है.' यह दूसरी बार था जब डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक से स्पष्टीकरण मांगा था. वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि टीका सुरक्षित और प्रभावी है यह सुनिश्चित करने के लिए उसका पूरी तरह से मूल्यांकन करना होगा.

अब तक 6 टीकों को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिल चुकी है. इसमें फाइजर/बायोएनटेक की कोमिरनेटी, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, मॉडर्न की एमआरएनए-1273, सिनोफार्म की बीबीआईबीपी-कोरवी और सिनोवैक की कोरोनावैक शामिल है.

हालांकि ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने और यात्रियों को अपने देशों में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कोवैक्सिन को मंजूरी दी है. इन देशों में गयाना, ईरान, मॉरीशस, मेक्सिको, नेपाल, पराग्वे, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, श्रीलंका, एस्टोनिया और यूनान का नाम शामिल है. भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोविशील्ड भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दो टीके हैं. ऑस्ट्रेलिया कोविशील्ड को पहले ही मान्यता दे चुका है.

बता दें कि, कोवैक्सीन विकसित करने वाले हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने टीके की आपात उपयोग सूचीबद्धता के लिए 19 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन को ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) प्रस्तुत की थी.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीते रविवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जी-20 के नेताओं ने सहमति जताई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को कोविड-19 टीकों की आपातकालीन उपयोग मंजूरी को लेकर प्रक्रिया को तेज करने के लिए मजबूत किया जाएगा. गोयल ने कहा कि नेताओं ने जी-20 शिखर सम्मेलन में 'रोम घोषणापत्र' को अंगीकार किया और बयान स्वास्थ्य खंड के तहत एक बहुत ही मजबूत संदेश देता है, जिसमें सहमति जताई गई है कि कोविड-19 टीकाकरण दुनिया के लिए फायदेमंद है.

भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 107.29 करोड़ के पार

नई दिल्ली (आरएनएस)। 24 घंटों के दौरान टीके की 41,16,230 लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 107.29 करोड़ (1,07,29,66,315) के पार पहुंच गया। इसे 1,07,96,018 सत्रों के जरिये पूरा किया गया। पिछले 24 घंटों में 14,159 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है (महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक), जो इस समय 3,36,97,740 है।

परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.22 प्रतिशत है। लगातार 129 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,903 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।

इस समय सक्रिय केसलोड 1,51,299 है, जो 252 दिनों में न्यूनतम है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.44 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।

देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,68,514 जांचें की गई। समग्र रूप से भारत में अब तक 61,12 करोड़ से अधिक (61,12,78,853) जांचें की गई हैं।

एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 1.18 प्रतिशत है, जो पिछले 40 दिनों में दो प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 1.11 प्रतिशत है। वह भी पिछले 30 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 65 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।

पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन का हुआ प्रमोशन

» भारतीय वायु सेना में मिली कैप्टन की रैंक

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का प्रमोशन हो गया है। उन्हें अब ग्रुप कैप्टन बनाया गया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट एफ-16 के साथ डॉग फाइट करने वाले अभिनंदन को शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है।

अभिनंदन ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिकी एफ-16 को मार गिराया था। सूत्रों ने बताया कि एयरफोर्स के बहादुर अधिकारी का प्रमोशन हो गया है और वह अब ग्रुप कैप्टन होंगे। उन्हें जल्द ही नई रैंक सौंपी जाएगी। ग्रुप कैप्टन भारतीय थल सेना के कर्नल रैंक के बराबर है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में की गई आतंकी कैंपों पर एयरस्ट्राइक के बाद उपजे तनाव के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के स्र-16 विमान को गिरा दिया था। हालांकि, उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया था और इजेक्ट करने के बाद वह पीओके में जा गिर थे। भारत के दबाव में पाकिस्तान ने सकुशल उन्हें वापस भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट तय करेगा शिक्षा ग्राहक सेवा में है या नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। क्या शिक्षा भी उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा की परिभाषा के दायरे में आता है? यह सवाल देश की सर्वोच्च अदालत के सामने उठा है। नैशनल कंज्यूमर फोरम ने अपने फैसले में कहा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एजुकेशन, सर्विस नहीं माना गया है। फोरम के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इस बात को तय करेगा कि क्या एजुकेशन सर्विस है या नहीं?

दरअसल, मामला एक छात्र से जुड़ा है जिसने स्कूल की तरफ से आयोजित समर कैंप में भाग लिया था। वह इस दौरान स्कूल के स्विमिंग पूल मे डूब गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बच्चे के पिता ने इस मामले में राज्य उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह सेवा में कोताही है। उन्होंने स्कूल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, लेकिन राज्य उपभोक्ता अदालत ने याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। फिर पीड़ित परिवार ने नैशनल कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

नैशनल कंज्यूमर फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एजुकेशन में अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल हैं, मसलन स्विमिंग आदि जो कंज्यूमर प्रोटेक्टन एक्ट के तहत सर्विस नहीं हैं। नैशनल कंज्यूमर फोरम ने अपने बड़े बेंच के फैसले का हवाला दिया। लार्जर बेंच ने मोनू सोलंकी संबंधित वाद में कहा था कि एजुकेशन संस्थान, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। एजुकेशन संस्थानों में वोकेशनल कोर्स और अन्य एक्टिविटी होती है। उसने साफ कहा कि स्कूल की तरफ से आयोजित टूर, पिकनिक, एक्स्ट्रा कुरिकुलर गतिविधि, स्विमिंग और स्पोर्ट्स आदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं हैं। नैशनल कंज्यूमर फोरम ने 8 फरवरी 2021 को मौजूदा मामले में अर्जी खारिज कर दी। स्कूली स्टूडेंट के पिता की ओर से नैशनल कंज्यूमर फोरम के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मोनू सोलंकी संबंधित वाद पहले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें यह मुद्दा है कि एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विस है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की जाती है और पहले से पेंडिंग केस के साथ टैग किया जाता है।

पोंजी योजना: ईडी ने बेंगलुरू में 35.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नईदिल्ली (आरएनएस)। बेंगलुरू से संचालित एक पोंजी योजना की जांच के सिलसिले में धन शोधन रोधी कानून के तहत 35.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इस योजना के तहत कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। विक्रम इन्वेस्टमेंट्स एंड एसोसिएट्स के नाम से बेंगलुरू में जमीन, कार्यालयों और आवासीय फ्लैटों और 1.49 करोड़ रुपये के बैंक तथा सावधि जमा जब्त करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी किया गया। बेंगलुरू पुलिस की

मार्च 2018 की एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दावा किया था, 'राघवेंद्र श्रीनाथ, केपी नरसिम्हामूर्ति, एम प्रह्लाद, केसी नागराज और सतराम सुरेश समेत विक्रम इन्वेस्टमेंट्स के साझेदारों और अन्य सहयोगियों ने लोगों को कंपनी में निवेश करने और बदले में अच्छी रकम पाने का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। ईडी ने एक बयान में कहा, 'कंपनी का काम करने का तरीका कुछ इस तरह था कि उसके लोग ग्राहकों को वायदा बाजार के नाम पर एक साल में 30 से 35 प्रतिशत तक का मुनाफा होने की बात कहकर उनसे पैसा इकट्ठा करते थे। ईडी के अनुसार इस कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक समेत किसी नियामक एजेंसी के तहत पंजीकरण नहीं हुआ है। बयान के अनुसार, 'उन्होंने ग्राहकों को वादे के अनुसार पहली किश्त दी। इससे उन्होंने ग्राहकों का विश्वास जीता और उन्हें ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए लुभाया। बाद में उन्होंने पैसा लौटाना बंद कर दिया। एजेंसी ने बताया कि इस योजना से भारी-भरकम मुनाफा कमाने की उम्मीद में कई जानेमाने लोगों ने भी निवेश किया। जांच में सामने आया कि कंपनी इस काम में एलआईसी के एजेंट और अन्य लोगों का इस्तेमाल करती थी जो अपने मिलने और जानने वालों को निवेश के लिए मनाते थे। इस काम के ऐवज में उन्हें अच्छा खासा कमीशन दिया जाता था। ईडी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि योजना में करीब 2,420 लोगों ने निवेश किया और कुल निवेश करीब 417 करोड़ रुपये का था जिसमें से 331 करोड़ रुपये मुनाफे के तौर पर ग्राहकों को दिए गए और बाकी 86 करोड़ रुपये का राघवेंद्र श्रीनाथ और उसके साथियों ने गबन कर दिया।

दक्षिण 24 परगना जिले से एनआईए ने जेएमबी आतंकी को किया गिरफ्तार

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से एनआईए ने जेएमबी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. एनआईए ने जेएमबी के आतंकी अब्दुल मन्ना को सुभाषग्राम से गिरफ्तार किया है. सूत्रों का कहना है कि वह 2 साल पहले बांग्लादेश से आया था. उसने फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी भी बनवा लिया था. एनआईए ने विशेष सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है. बता दें कि इसके पहले भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना से आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

एक विशेष खुफिया इनपुट पर काम करते हुए आज सुबह एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि उक्त आतंकी का बांग्लादेश के आतंकियों के साथ सीधा संपर्क था. कुछ दिन पहले गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद उसके नाम का खुलासा हुआ था. बता दें कि कोलकाता एसटीएफ, कोलकाता पुलिस बल ने तीन जेएमबी संचालकों नजीउर रहमान पावेल, मिकैल खान और रबीउल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था.

आयकर विभाग ने कर्नाटक में तलाशी कार्रवाई की

नई दिल्ली (आरएनएस)। आयकर विभाग ने 28 अक्टूबर,2021 को सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के सिविल निर्माण कार्य में लगे कर्नाटक के एक अग्रणी समूह के विरुद्ध उत्तरी कर्नाटक में स्थित उसके विभिन्न परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी अभियान से पता चला है कि यह समूह सामग्री की खरीद, मजदूरों के भुगतान और उपठेकेदारों के भुगतान में फर्जी खर्च दिखाकर अपने मुनाफे को छुपा रहा है। इस तरह के खर्चों के गैर-वास्तविक दावे को दर्शाने वाले डिजिटल साक्ष्य सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे विक्रेताओं/सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं से समूह के प्रमुख व्यक्ति द्वारा बेहिसाब नकदी प्राप्त की गई है। यह भी पाया गया कि उनके अपने रिश्तेदारों/मित्रों/कर्मचारियों को उप-ठेकेदारों के नाम पर धन रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने न तो कोई काम किया था और न ही उनके पास काम करने की दक्षता/क्षमता थी।

केंद्र ने स्वास्थ्य विभाग के उच्चस्तरीय दल नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तुरंत रवाना किए

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय दल को उन नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत रवाना कर दिया है, जहां डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह दल इन राज्यों में डेंगू के असरदार नियंत्रण और प्रबंधन में जन स्वास्थ्य उपाय करने में सहायता करेंगे। यह निर्णय एक नवंबर, 2021 को डेंगू के हालत की समीक्षा करने के लिये बुलाई गई बैठक के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के निर्देश पर लिया गया

है। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के मामले अधिक आ रहे हैं, वहां फौरन सहायता पहुंचाई जाये। पूरे देश में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के कुल 1,16,991 मामले सामने आ चुके हैं।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस बार अक्टूबर माह में कुछ राज्यों में डेंगू के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुल 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष डेंगू के मामले सबसे ज्यादा हैं। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर तक देश में डेंगू के कुल मामलों का 86 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किये गये हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये केंद्रीय टीमों में राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और क्षेत्रीय कार्यालयों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इन टीमों को उन नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रवाना किया गया है, जहां सितंबर की तुलना में अक्टूबर में डेंगू के ज्यादा मामले आ रहे हैं।

टीमों को दायित्व सौंपा गया है कि वे जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में कारगर तरीके से काम करने में राज्यों की सहायता करें। टीमों को आदेश दिया गया है कि वे वैक्टर नियंत्रण, किट्स और दवा की उपलब्धता, रोग का शुरूआत में ही पता लगाने, कीटनाशकों की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल, मच्छर के लार्वा की स्थिति, वयस्क मच्छर द्वारा रोग फैलाने पर काबू पाने के उपायों की स्थिति आदि पर रिपोर्ट देते रहें। ये टीमें राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने निष्कर्षों से भी अवगत कराती रहेंगी।